



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09122022-240920
CG-DL-E-09122022-240920

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 304]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 8, 2022/अग्रहायण 17, 1944

No. 304]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 8, 2022/AGRAHAYANA 17, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2022

सं. 41 / 2015–2020

विषय : प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी) 2015–20 के पैरा 2.61 में संशोधन के संबंध में।

फा. सं. 01/89/180/विविध-37/एम-07/पीसी-2[क]/भाग-V/ई-25648.—विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 के पैरा 2.61 (क), (ख) और (ग) को संशोधित करते हैं।

2. महानिदेशक, विदेश व्यापार की सार्वजनिक सूचना सं. 40/2015–20 दिनांक 08.12.2022 के तहत अधिसूचित किए गए संशोधित परिशिष्ट 2ज के अनुसार प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 के संशोधित पैरा 2.61 (क), (ख) और (ग) को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:—

“2.61 कोटा के आबंटन हेतु पात्र इकाईयां

- (क) मिल्क पाउडर (टैरिफ कोड सं. 0402.10 अथवा 0402.21) और व्हाईट बटर, बटर आयल, एनहाईड्रेस मिल्क फेट (0405), राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी), राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ (एनसीडीएफ) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड)
- (ख) मक्का (कार्न) (प्रशुल्क कोड सं. 1005.90): भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि. (नेफेड) और राज्य सहकारी विपणन संघ।
- (ग) क्रूड सनफ्लावर सीड अथवा साफफ्लावर आयल अथवा इससे संबंधित अंश (प्रशुल्क कोड सं. 1512.11) और रिफाईड रेप, कोल्जा, कॉनोला अथवा सरसों का तेल, अन्य (प्रशुल्क कोड सं. 1514.19 अथवा 1514.99): राष्ट्रीय

डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि. (नेफेड) और केन्द्रीय वैयरहाउस निगम (सीडब्ल्यूसी), राज्य सहकारी विपणन संघ एवं राज्य सहकारी आपूर्ति निगम।"

3. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीजीएसई) अर्थात् एमएमटीसी, स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (एसटीसी), पीईसी लि. तथा एफटीपी 2015–20 के अंतर्गत एसटीई के रूप में एसटीसीएल लि. को डिनोटिफाई करने के तदोपरांत डीजीएफटी की सार्वजनिक सूचना सं. 40/2015–20 दिनांक 08.12.2022 से संबंधित प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 के पैरा 2.61 को संशोधित किया गया है, अतः उपरोक्त इकाईयां कोटा के आवंटन के लिए पात्र नहीं हैं।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 8th December, 2022

No. 41 /2015-2020

Subject : Amendment in Para 2.61 of Hand Book of Procedure (HBP) 2015-20 reg.

F. No. 01/89/180/Misc-37/AM-07/PC-2[A]/Part-V/E-25648.—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy (FTP), 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby amends Para 2.61 (a), (b) and (c) of the Hand Book of Procedure (HBP) 2015-20.

2. As per the revised Appendix 2J notified, vide DGFT Public Notice No. 40/2015-20 dated 08.12.2022, the revised Para 2.61 (a), (b) and (c) of the HBP 2015-20 reads as under:

"2.61 Eligible entities for allocation of quota

- (a) Milk Powder (Tariff Code No. 0402.10 or 0402.21) and White Butter, Butter oil, Anhydrous Milk Fat (0405): National Dairy Development Board (NDDB), National Cooperative Dairy Federation (NCDF) and National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd. (NAFED).
- (b) Maize (corn) (Tariff Code No. 1005.90): National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd. (NAFED) and State Cooperative Marketing Federations.
- (c) Crude sunflower seed or safflower oil or fractions thereof (Tariff Code No. 1512.11) and Refined rape, colza, canola or mustard oil, other (Tariff Code No. 1514.19 or 1514.99): National Dairy Development Board (NDDB), National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd.(NAFED) and Central Warehousing Corporation (CWC), State Cooperative Marketing Federation & State Cooperative Civil Supplies Corporation”.

3. Effect of this Public Notice:

Para 2.61 of the Hand Book of Procedure (HBP) 2015-20 has been amended with respect to DGFT Public Notice No. 40/2015-20 dated 08.12.2022. Subsequent to de-notifying 4 Central Public Sector Enterprises (CPSEs) i.e., MMTC, The State Trading Corporation of India Ltd. (STC), PEC Limited and STCL Limited as STE under FTP -2015-20, the aforementioned entities are not eligible for allocation of quota.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
Ex- officio Addl. Secy.